

विहंगावलोकन



## विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में चार निष्पादन लेखापरीक्षाएं यथा (i) बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन (ii) 'दिल्ली में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006,' का कार्यान्वयन (iii) 'दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का उन्नयन,' और (iv) श्रम विभाग द्वारा उद्योगों में श्रम तथा सुरक्षा कानूनों का कार्यान्वयन और परिहार्य/व्यर्थ व्यय, अधिक भुगतान, अतिरिक्त अधिशेष की निगरानी के अभाव, धन वापसी का दावा न करने, करार के नियमों/प्रावधानों से विचलन, वसूली न होने और व्यर्थ निवेश से संबंधित 12 पैराग्राफ हैं जिनका वित्तीय महत्व ₹ 336.87 करोड़ है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) का कुल व्यय 2011-16 के दौरान ₹ 25,314.54 करोड़ से 33.36 प्रतिशत बढ़कर ₹ 33,760.34 करोड़ हो गया जबकि राजस्व व्यय 2011-12 में ₹ 17,964.85 करोड़ से 46.63 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 में ₹ 26,342.55 करोड़ हो गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय 2011-16 की अवधि के दौरान ₹ 11,524.00 करोड़ से 55.88 प्रतिशत बढ़कर ₹ 17,963.23 करोड़ और पूंजीगत व्यय ₹ 4,004.27 करोड़ से बढ़कर ₹ 4,723.47 करोड़ हो गया।

इस प्रतिवेदन में जिन प्रमुख प्राप्तियों का विवरण है, उनमें से कुछ का सार नीचे प्रस्तुत है।

## निष्पादन लेखापरीक्षा

### बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन

बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का अधिनियम, 2009 (शि.का.अ. अधिनियम) 6-14 वर्ष के आयुवर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 2010-16 की अवधि को कवर करते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा में खराब योजना एवं तैयारी, लगातार रिक्तियां तथा साथ ही निधियों के विलंब से जारी होने और इसकी उपयोगिता में विलंब के कारण अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन प्रभावित हुआ।

- दिल्ली में शि.का.अ. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए सरकार की प्रभावी योजना का अभाव था। निकटवर्ती स्कूलों को निर्धारित करने व स्थापित करने के उद्देश्य हेतु जन्म से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के आंकड़े एकत्र करने और रखने तथा उसे स्कूलों की मैपिंग के साथ लिंक करने का घरेलू सर्वेक्षण पूरा नहीं किया गया। ऐसे महत्वपूर्ण आंकड़ों के अभाव में सरकार के लिए स्कूल में, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना संभव नहीं था। रा.रा.क्षे.दि.स. तथा स्थानीय निकायों द्वारा बच्चों के नामांकन हेतु किन्हीं निश्चित लक्ष्यों को नियत नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 2.1.2 (क))

- केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा निदेशालय द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण मिशन (प्रा.शि.सा.मि.) को निधियां विलंब से और कम जारी की गई थीं। 2010-16 के दौरान परियोजना अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रा.शि.सा.मि. को ₹ 1,115.72 करोड़ के अनुमोदन के प्रति केवल ₹ 647.48 करोड़ उपलब्ध कराया गया। उसी अवधि में प्रा.शि.सा.मि. ने वास्तव में केवल ₹ 534.29 करोड़ खर्च किया।

**(पैराग्राफ 2.1.3.1)**

- सरकारी तथा सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा-1 में नामांकन 2010-11 में 2,04,884 से 23 प्रतिशत कम होकर 2015-16 में 1,56,911 हो गए जबकि 2010-16 के दौरान कुल नामांकन (प्राइवेट स्कूलों को शामिल कर) के संबंध में लगभग स्थिर स्थिति रही जो उसी अवधि के दौरान दिल्ली की जनसंख्या में वृद्धि के अनुरूप नहीं थी।

**(पैराग्राफ 2.1.4.1)**

- बच्चों को विशेष प्रशिक्षण से संबंधित एवं दिव्यांग बच्चों या कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी ग्रुप के बच्चों के लिए प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। निदेशालय के गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों ने 1,45,142 सीटों के विरुद्ध कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी ग्रुप से संबंधित केवल 90,262 बच्चों को दाखिला दिया जोकि 2011-16 के दौरान उनके लिए आरक्षित की जानी चाहिए थी।

**(पैराग्राफ 2.1.4.2, 2.1.4.3 एवं 2.1.4.4)**

- आधारभूत ढांचे में वृद्धि की आवश्यकता के बावजूद, अतिरिक्त कक्षाएं एवं शौचालयों के निर्माण हेतु प्रा.शि.सा.मि. को 2015-16 के दौरान ₹ 18.29 करोड़ स्वीकृत किया गया जो जून 2016 तक बिना उपयोग के रहा जबकि कक्षाएं, हॉल, शौचालयों एवं बाहरी दीवारों के निर्माण के 69 से 81 प्रतिशत कार्य उत्तरी एवं दक्षिणी नगर निगमों में कार्यान्वित नहीं हुए।

**(पैराग्राफ 2.1.4.5 (ख एवं ग))**

- निदेशालय के स्कूलों में जुलाई 2016 तक शिक्षकों तथा लाइब्रेरियन के 38,916 संस्वीकृत पदों में से 8,579 पद (22 प्रतिशत) रिक्त थे।

**(पैराग्राफ 2.1.5.1)**

- दिल्ली नगर निगमों (दि.न.नि.) के 34 चयनित स्कूलों के सभी बच्चों को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें तथा लेखन सामग्री वितरित नहीं की गई थीं और जहां जारी की गई वे भी विलंब से की गई। दि.न.नि. के सहायता प्राप्त स्कूलों के किसी भी विद्यार्थी को यूनिफॉर्म और लेखन सामग्री जारी नहीं की गई थी।

**(पैराग्राफ 2.1.5.4 (क एवं ख))**

- शि.का.अ. अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु अधिनियम के अधीन परिकल्पित किया गया संस्थागत तंत्र गैर प्रभावी था क्योंकि विभिन्न सलाहकारी एवं निगरानी समितियां या तो संस्थापित नहीं हुई या उन्होंने नियमित बैठकें नहीं की।

(पैराग्राफ 2.1.6)

### दिल्ली में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन

देश में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 खाद्य सुरक्षा मानकों का प्रावधान करता है। अगस्त 2011 से मार्च 2016 की अवधि को कवर करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा, अधिनियम को लागू करने में कमजोर विनियामक तथा प्रशासनिक तंत्र को प्रकट करती है। अधिनियम के मुख्य प्रावधानों की गैर अनुपालना खाद्य की गुणवत्ता के साथ समझौता करना है, जो कि जन सामान्य के स्वास्थ्य को गंभीर रूप से खतरे में डालता है।

- विभाग ने न तो खाद्य व्यापार संचालकों की पहचान करने के लिये सर्वेक्षण कराया न ही खाद्य व्यापार संस्थापनों के आंकड़ों का रखरखाव किया। जन उपभोग मदों में लगे बहुत से खाद्य व्यापार संचालक अधिनियम के अंतर्गत कवर होने से रह गए।

(पैराग्राफ 2.2.2.2 एवं 2.2.2.3)

- राज्य खाद्य प्रयोगशाला ने वर्ष 2012 में दो वर्षों के लिए परीक्षण और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का प्रत्यायन प्राप्त किया। मार्च 2014 के बाद प्रत्यायन का नवीनीकरण नहीं हो सका क्योंकि तकनीकी स्टाफ और आवश्यक उपकरणों के अभाव के कारण उन्नयन नहीं हो सका।

(पैराग्राफ 2.2.3.2 (क) एवं 2.2.3.2(ख))

- खाद्य व्यापार संचालकों को लाइसेंस तथा पंजीकरणों को जारी करने में विलंब हुआ। 1,914 लाइसेंस तथा 12,200 पंजीकरण प्रमाणपत्रों की गैर-नवीनीकरण के कारण समय सीमा समाप्त हो गई।

(पैराग्राफ 2.2.3.3 एवं 2.2.3.4)

- 97 प्रतिशत मामलों में कोई निरीक्षण नहीं किया गया। उठाए गए नमूने बहुत कम अर्थात् 49,796 लाइसेंस प्राप्त खाद्य संस्थापनों से चार प्रतिदिन की दर से थे। विभाग ने खाद्य नमूने उठाने हेतु कोई मानदंड निर्धारित नहीं किया। खाद्य नमूनों को निर्धारित पैरामीटरों के लिए संपूर्णता की जांच किए बिना खाद्य सुरक्षा मानकों के समानुरूप घोषित कर दिया गया।

(पैराग्राफ 2.2.4.1 एवं 2.2.4.2)

- विभाग ने अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग हेतु इसके आंतरिक आदेशों के साथ अनुपालन को मॉनीटर नहीं किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को फील्ड ड्यूटी के आवंटन हेतु दैनिक डायरियों, शिकायत सुधार हेतु निर्धारित प्रपत्रों में शिकायत रजिस्ट्रों तथा विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की निगरानी हेतु प्रगति रजिस्ट्रों के गैर अनुरक्षण ने कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाया।

(पैराग्राफ 2.2.6.1)

## दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का उन्नयन

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की व्यवस्था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (स्वा.प.क.वि.) द्वारा की जाती है। 2010-16 की अवधि को शामिल करते हुए "दिल्ली में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के उन्नयन" की निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि रा.रा.क्षे. दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के उन्नयन के लिए योजनाओं तथा परियोजनाओं को जिनमें कमजोर प्लानिंग तथा कार्यान्वयन था जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के फलीभूत होने में विलंब हुआ तथा जरूरतमंद मरीजों को अभीष्ट लाभ प्राप्त नहीं हुए।

- स्वास्थ्य सेवा निदेशालय (स्वा.से.नि.) ने 2007-16 के दौरान ₹ 14.26 करोड़ की लागत पर नई स्वास्थ्य सुविधाओं की 30 परियोजनाओं के लिए 77,558.35 वर्ग मी. भूमि का कब्जा लिया तथा चारदीवारी, बाड़ लगाने, प्रवेश द्वार, सुरक्षा पर ₹ 3.28 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया, परन्तु अगस्त 2016 तक इनमें से किसी भूखण्ड का प्रयोग नहीं किया।

### (पैराग्राफ 2.3.3.1)

- यद्यपि, प्रस्तावित 2,575 बिस्तर क्षमता वाले नए अस्पतालों की 11 अन्य परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों का निर्धारण कर लिया गया था, तथापि इसमें कोई ज्यादा प्रगति नहीं हुई थी। स्वा.से.नि. ने भूमि लागत, चारदीवारी, सुरक्षा के प्रति इन परियोजनाओं पर ₹ 17.06 करोड़ का व्यय किया था।

### (पैराग्राफ 2.3.3.2)

- ₹ 72.07 करोड़ की लागत पर निर्मित गुरु तेग बहादुर अस्पताल का मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य (मा.बा.स्वा.) तथा डायबिटीज, इंडोक्राइन तथा मेटाबोलिक (डा.ए.मे.) ब्लॉक पूरा होने के 2-4 वर्षों के बाद भी स्टाफ की कमी, चिकित्सीय गैस पाईपलाइन के गैर-संस्थापन तथा आवश्यक उपकरणों की खरीद में देरी के कारण, पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं किया जा सका। स्टाफ की भर्ती न किए जाने तथा उपकरणों के अभाव के कारण राजीव गांधी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल तथा जनकपुरी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के पूरा होने के चार से आठ वर्षों बाद भी पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हुआ।

### (पैराग्राफ 2.3.4.3, 2.3.4.4 एवं 2.3.4.5)

## श्रम विभाग द्वारा उद्योगों में श्रम तथा सुरक्षा कानूनों का कार्यान्वयन

उद्योगों में श्रम कानूनों तथा सुरक्षा उपायों को लागू करने में विभाग के निष्पादन का आकलन करने की दृष्टि से 2011-16 की अवधि को कवर करते हुए एक निष्पादन लेखापरीक्षा मई 2016 से सितंबर 2016 तक की गई। लेखापरीक्षा में प्रकट किया गया कि अधिनियमों के प्रावधानों के कर्मठ अनुपालन तथा प्रवर्तन के अभाव ने औद्योगिक विवादों के शीघ्र तथा उचित समाधान को सुनिश्चित करने तथा सुरक्षा तथा स्वास्थ्य मानदंडों की शर्तों

में श्रमिकों के यथार्थ हितों की रक्षा तथा शोषण से उनकी रक्षा के मूल उद्देश्य की प्राप्ति का कोई आश्वासन नहीं दिया।

- औद्योगिक विवादों के लिए समाधान एवं विवाद सुधार तंत्र न तो पूरी तरह से गठित किया गया न ही सक्रिय था। निर्माण कार्य समितियां नहीं बनाई गई थीं।

**(पैराग्राफ 2.4.3.1)**

- समाधान अधिकारियों द्वारा समाधान प्रक्रियाओं को आरंभ करने में एक से 121 दिन की रेंज में विलंब था तथा 891 मामलों में समाधान प्रक्रियाओं को पूरा करने में भी 14 दिन की निर्धारित अवधि से अधिक विलंब था।

**(पैराग्राफ 2.4.3.2(क))**

- अधिनिर्णयों के प्रकाशन तथा कार्यान्वयन में विलंब थे। 45 प्रतिशत अधिनिर्णय तीन महीने से छः महीने से अधिक तक के विलंब से प्रकाशित किए गए।

**(पैराग्राफ 2.4.3.3(घ))**

- अधिनिर्णयों का प्रवर्तन तथा श्रमिकों के नियोक्ताओं से बकायों की वसूली अपर्याप्त थी। 2011-16 (अप्रैल) के दौरान जारी कुल ₹ 36.32 करोड़ के 1,245 वसूली प्रमाणपत्रों में से 379 मामलों में ₹ 4.46 करोड़ की वसूलियां लंबित थीं।

**(पैराग्राफ 2.4.3.3 (च))**

- विभाग ने संगठनों/ठेकेदारों का आवधिक सत्यापन पूरा नहीं किया जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे पंजीकृत थे तथा उनके पास संविदा श्रम अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस थे। निरीक्षण योजनाबद्ध तरीके से नहीं किए गए तथा संविदा श्रम के शोषण की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अनुपालना कार्रवाई पर्याप्त नहीं थी।

**(पैराग्राफ 2.4.4.1)**

- 55 में से 54 मामलों में फैक्ट्री लाइसेंस यह सुनिश्चित किए बिना प्रदान किए गए कि क्या फैक्ट्रियों ने स्वास्थ्य तथा सुरक्षा नीति तैयार की थी।

**(पैराग्राफ 2.4.7.4)**

- भवनों के निर्माण में उपकरण मामलों का निर्धारण सभी लागत घटकों पर विचार किए बिना किया गया। कुल ₹ 1.53 करोड़ का उपकरण एवं उस पर ब्याज का कम उद्ग्रहण तथा एकत्रण हुआ था।

**(पैराग्राफ 2.4.8(ख))**

## अनुपालना लेखापरीक्षा

### ₹ 1.09 करोड़ का परिहार्य व्यय

शिक्षा निदेशालय सहायक सेवाओं के लिए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सेवा कर के भुगतान में छूट से संबंधित अधिसूचना को संज्ञान में लेने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप एक फर्म को ₹ 1.09 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 3.1)

### अपव्यय तथा निधियों का अवरोधन

हब में संयोजन हेतु स्थान सुनिश्चित किए बिना सेटेलाइट फोन का क्रय करने और चिकित्सा अधिकारी की सेवा सुनिश्चित किए बिना एंबुलेंस की खरीद करने के परिणामस्वरूप ₹ 59.08 लाख की राशि का अपव्यय और अवरोधन हुआ।

(पैराग्राफ 3.2)

### लोक सेवा कानून के अधिकार का कार्यान्वयन

लोक सेवा कानून के अधिकार का कार्यान्वयन धीमा था क्योंकि सभी अधिसूचित सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक सर्विस लेवल एग्रीमेंट (ई-एस.एल.ए.) के पोर्टल पर अपलोड नहीं की गई थी तथा जहां अपलोड की गई थी, वह अधूरी एवं गलत थी। आवेदकों को सेवाओं की विलंब से सुपुर्दगी की क्षतिपूर्ति या कीमत का भुगतान करने के लिए सक्षम अधिकारियों को आ.सं.अ. की शक्तियां प्रदान नहीं की गई थी। सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी के लिए प्रत्येक स्तर पर समयसीमा निर्धारित नहीं की गई थी। यद्यपि सेवाएं देरी से प्रदान की गईं, न तो आवेदकों को क्षतिपूर्ति लागत का भुगतान हुआ और न ही चूककर्ता, सरकारी कर्मचारियों पर जुर्माना हुआ। नकद प्रोत्साहन के द्वारा सक्षम कर्मचारी के प्रोत्साहन के लिए या जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए चूककर्ता अधिकारियों की पहचान हेतु कोई कार्रवाई आरंभ नहीं की गई।

(पैराग्राफ 3.3)

### टी.डी.एस. की वापसी का दावा न करना

आयकर रिटर्न को फाइल करने तथा बैंकों द्वारा स्रोतों पर काटे गये कर (टी.डी.एस.) की वापसी का दावा करने में दिल्ली भवन व अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (दि.भ.अ.नि.श्र.क.बो.) की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 15.95 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ तथा इसके फलस्वरूप ₹ 2.73 करोड़ के ब्याज की हानि हुई, जिसे अर्जित किया जा सकता था यदि टी.डी.एस. की वापसी का समय से दावा किया गया होता तथा इसे बैंक में फिक्सड डिपॉजिट किया गया होता।

(पैराग्राफ 3.4)



### अधिशेष बकायों की प्रभावी निगरानी की कमी

बोर्ड के जिला खाते से मुख्य खाते में निधियों के हस्तान्तरण में प्रभावी निगरानी की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.74 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(पैराग्राफ 3.5)

### अधिक मांग के प्रक्षेपण के कारण हानि

दि.भ.अ.नि.श्र.क.बो. ने 20 मोबाइल वैन औषधालयों की मांग प्रक्षेपित की जबकि 10 अनुमोदित थे तथा उसके पश्चात उनकी उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ₹ 4.24 करोड़ जारी किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ के ब्याज की हानि हुई जिसे बोर्ड ₹ 2.07 करोड़ की अव्ययित राशि के निवेश द्वारा अर्जित कर सकता था।

(पैराग्राफ 3.6)

### लोक निर्माण विभाग में परियोजनाओं का कार्यान्वयन

लो.नि.वि. ने परियोजनाओं के वास्तविक निष्पादन से पहले उनकी योजना और डिजाइन में पर्याप्त प्रयास और समय नहीं लगाया, जिसके परिणामस्वरूप बढ़ा हुआ विस्तृत अनुमान, ड्राईंग्स और डिजाइनों का संशोधन तथा निर्माण कार्यों के सौंपे जाने के पश्चात् अतिरिक्त मदों/निष्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई। यहां निर्माण कार्यों को पूर्ण किए जाने में विलंब तथा विलंब से किए गए निर्माण कार्यों में क्षतिपूर्ति का उद्ग्रहण नहीं हुआ। लो.नि.वि. परामर्शदाताओं के साथ किए गए करारों में मात्राओं के आकलन में आई विभिन्नताओं के लिए दांडिक धारा सम्मिलित करने में असफल रहा तथा संविदात्मक प्रावधानों के बावजूद निर्माण कार्यों के लिए ड्राईंग्स की आपूर्ति किए जाने में विलंब हेतु परामर्शदाताओं पर क्षतिपूर्ति उद्ग्रहण नहीं की गई। लागत विचरण परिकलित करते समय आधार मूल्य को गलत अपनाने और मात्राओं को गलत लेने के परिणामस्वरूप करार की धारा 10 सी ए के अंतर्गत गैर/लघु अदायगी की वसूलियां हुई। इन कमियों में ₹ 241.20 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ थे।

(पैराग्राफ 3.7)

### अधिनियम में निर्धारित समयसीमा के अंदर मध्यस्थ अधिनिर्णय के विरुद्ध अपील करने में असफलता

लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित समयसीमा के अंदर एक मध्यस्थ अधिनिर्णय को चुनौती देने में विफलता के परिणामस्वरूप आवेदन अस्वीकृत हो गया तथा ₹ 14.92 करोड़ के भुगतान को रोकने के मामले में प्रतिवाद का अवसर खो दिया।

(पैराग्राफ 3.8)

### तकनीकी संस्थानों में आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाओं का विकास तथा आधुनिकीकरण

विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या के साथ ही संस्थान आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाओं

जैसे कक्षाओं, छात्रावास, प्रयोगशालाओं इत्यादि की कमी से जूझ रहे थे। यद्यपि, बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए परियोजना समय से आगे नहीं बढ़ सकी जिससे विद्यार्थियों को लाभ नहीं प्राप्त हो सके साथ ही लागत वृद्धि को भी कम नहीं किया जा सका। विश्व स्तरीय कौशल केन्द्र की परियोजना निर्धारित समय सीमा से पीछे चल रही थी जबकि दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (दि.प्रौ.वि) अत्यावश्यक आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाओं के निर्माण को शुरू करने व तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम को लागू करने में असफल रहा। नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान (ने.सु.प्रौ.सं.) में लिफ्ट के प्रतिष्ठापन की परियोजना तथा दिल्ली औषधीय विज्ञान तथा अनुसंधान संस्थान (दि.औ.वि.अ.सं.) के पी जी ब्लॉक के निर्माण के कार्यान्वयन में अत्यधिक विलंब के परिणामस्वरूप लागत में ₹ 22.29 करोड़ की वृद्धि हुई।

**(पैराग्राफ 3.9)**

**नियमों के विपथन में एकमुश्त करार में मूल्य विभेद खण्ड का सम्मिलन**

सक्षम प्राधिकारी के विशेष अनुमोदन के बिना एकमुश्त करार में मूल्य विभेद खण्ड के सम्मिलन के परिणामस्वरूप ₹ 10.22 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

**(पैराग्राफ 3.10)**

**संशोधित बहिष्प्रवाही जल की लागत की गैर वसूली**

दिल्ली जल बोर्ड भलस्वा के गोल्फ कोर्स में संशोधित बहिष्प्रवाही जल (सं.ब.ज.) की आपूर्ति के पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण के साथ कोई भी करार करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2004 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान आपूर्ति किए गये सं.ब.ज. के लागत के रूप में ₹ 3.95 करोड़ की गैर वसूली हुई।

**(पैराग्राफ 3.11)**

**भूमि में व्यर्थ निवेश**

श.वि.वि. की ओर से ठोस निर्णय लेने में निरुत्साही रवैये के कारण 3.78 एकड़ की एक भूमि, जहां ₹ 2.86 करोड़ का निवेश किया गया था, 15-16 वर्षों से व्यर्थ पड़ी थी, जिससे यमुना पार क्षेत्र के निवासी वांछित सुविधाओं से वंचित रहे।

**(पैराग्राफ 3.12)**